जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 815 दि. 07.09.16

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के संबंध में।

माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के दिशा निर्देश पर दिनांक 19.08.2016 को आयोजित 71वीं डिस्कॉम कोऑर्डिनेशन फोरम की बैठक में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 जुलाई 2016 से दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक लागू किया जाता है।

1. ऐसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुए पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
2. इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि (रू. 15/– प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार नियमित कर दिया जावेगा।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नही हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/–प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगें।
4. यदि मद (2 व 3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुये भार पर निम्नानुसार राशि वसूल की जावेगीः–
   (क) मीटर श्रेणी के उपभोक्ता
   रू. 120/– प्रति एच.पी. पैनल्टी राशि व रू. 1500/– प्रति एच.पी. नियमितीकरण शुल्क
   (ख) फ्लैट रेट श्रेणी के उपभोक्ता
   रू. 4920/– प्रति एच.पी पैनल्टी राशि व रू. 1500/– प्रति एच.पी. नियमितीकरण शुल्क
5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

1 जुलाई 2016 से उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वी.सी.आर. भरी जा चुकी है तो वह भी उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जावेगी। उक्त "स्वैच्छिक भारी वृद्धि घोषण योजना" की समाप्ति (30 नवम्बर 2016) के पश्चात् भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

आज्ञा से

7/9/16

(यू.एस.चौहान)
अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (पी.सी.–सी.एण्ड पी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,...............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

[signature] 5/16.

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर